

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

सं०सं०-02/टैक्स (कर विमुक्ति)-197/04 परि०
आदेश

पटना, दिनांक-

जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-1898, दिनांक-15.03.2018 के साथ प्रेषित कर माफी अभिलेख संख्या-14/2018 द्वारा स्टाफ ऑफिसर (PROV) FRONTIER HQRS, SSB, PATNA (भारत सरकार) के कुल 06 (छः) नये वाहनों के कर माफी की अनुशंसा की गयी है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

Sl.	Type Vehicle	Chesis NO.	Period of Tax	Total Amount (in Rs.)	
1	BUS	MBUZT54XMU0242053	29-12-2017 to 28-12-2018	Tax (Incl.Fine)	30,065/-
				RSF (Incl.Fine)	206/-
2	BUS	MBUZT54XMU024036	29-12-2017 to 28-12-2018	Tax (Incl.Fine)	30,065/-
				RSF (Incl.Fine)	206/-
3	BUS	MBUZT54XMU0242059	29-12-2017 to 28-12-2018	Tax (Incl.Fine)	30,065/-
				RSF (Incl.Fine)	206/-
4	BUS	MBUZT54XMU0242015	29-12-2017 to 28-12-2018	Tax (Incl.Fine)	30,065/-
				RSF (Incl.Fine)	206/-
5	BUS	MBUZT54XMU0242058	29-12-2017 to 28-12-2018	Tax (Incl.Fine)	30,065/-
				RSF (Incl.Fine)	206/-
6	BUS	MBUZT54XMU0242056	29-12-2017 to 28-12-2018	Tax (Incl.Fine)	30,065/-
				RSF (Incl.Fine)	206/-
TOTAL					1,81,626/-

बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-910, दिनांक-23.02.2004 के आलोक में केन्द्रीय स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के कर/अतिरिक्त कर से विमुक्ति प्रदान करने की शक्ति सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को प्रत्यायोजित है।


अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-1898, दिनांक-15.03.2018 के साथ प्रेषित कर माफी अभिलेख संख्या-14/2018 द्वारा उपर्युक्त वाहन के कर माफी हेतु की गयी अनुशंसा एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-910, दिनांक-23.02.2004 के आलोक में स्टाफ ऑफिसर (PROV) FRONTIER HQRS, SSB, PATNA (भारत सरकार) के उपर्युक्त वाहन के संगणित कुल कर ₹ 1,81,626.00 (एक लाख इक्यासी हजार छः सौ छत्तीस रुपये मात्र) में से ₹ 1,80,800.00 (एक लाख अठ्तीस हजार तीस सौ रुपये मात्र) की विमुक्ति दी जाती है, क्योंकि बिहार मोटरवाहन करधान (संशोधन) अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 11, 2016) में सड़क सुरक्षा उपकर/अर्थदण्ड से माफी का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण सड़क सुरक्षा उपकर/अर्थदण्ड की राशि देय होगा। यह कर माफी इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि गणना के पुनः सत्यापनोपरान्त सही पाये जाने पर ही यह आदेश प्रभावी होगा।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर सचिव, परिवहन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक- 4/4/18

निबंधित/ ज्ञापांक :- 02/टैक्स (कर विमुक्ति)-197/04 परि० 23/9
ई-मेल प्रतिलिपि :- जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/स्टाफ ऑफिसर (PROV) FRONTIER HQRS, SSB, PATNA को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-1898, दिनांक-15.03.2018 के साथ प्रेषित कर माफी अभिलेख संख्या-14/2018 द्वारा स्टाफ ऑफिसर (PROV) FRONTIER HQRS, SSB, PATNA (भारत सरकार) के कुल 06 (छः) नये वाहनों के कर माफी की अनुशंसा की गयी है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

Sl.	Type Vehicle	Chesis NO.	Period of Tax	Total Amount (in Rs.)	
1	BUS	MBUZT54XMU0242053	29-12-2017 to 28-12-2018	Tax (Incl.Fine)	30,065/-
				RSF (Incl.Fine)	206/-
2	BUS	MBUZT54XMU024036	29-12-2017 to 28-12-2018	Tax (Incl.Fine)	30,065/-
				RSF (Incl.Fine)	206/-
3	BUS	MBUZT54XMU0242059	29-12-2017 to 28-12-2018	Tax (Incl.Fine)	30,065/-
				RSF (Incl.Fine)	206/-
4	BUS	MBUZT54XMU0242015	29-12-2017 to 28-12-2018	Tax (Incl.Fine)	30,065/-
				RSF (Incl.Fine)	206/-
5	BUS	MBUZT54XMU0242058	29-12-2017 to 28-12-2018	Tax (Incl.Fine)	30,065/-
				RSF (Incl.Fine)	206/-
6	BUS	MBUZT54XMU0242056	29-12-2017 to 28-12-2018	Tax (Incl.Fine)	30,065/-
				RSF (Incl.Fine)	206/-
TOTAL					1,81,626/-

बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-910, दिनांक-23.02.2004 के आलोक में केन्द्रीय स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के कर/अतिरिक्त कर से विमुक्ति प्रदान करने की शक्ति सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को प्रत्यायोजित है।

अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-1898, दिनांक-15.03.2018 के साथ प्रेषित कर माफी अभिलेख संख्या-14/2018 द्वारा उपर्युक्त वाहन के कर माफी हेतु की गयी अनुशंसा एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-910, दिनांक-23.02.2004 के आलोक में स्टाफ ऑफिसर (PROV) FRONTIER HQRS, SSB, PATNA (भारत सरकार) के उपर्युक्त वाहन के संगणित कुल कर ₹ 1,81,626.00 (एक लाख इक्यासी हजार छः सौ छत्तीस रुपये मात्र) में से ₹ 1,81,626.00 (एक लाख असी हजार छः सौ छत्तीस रुपये मात्र) की विमुक्ति दी जाती है, क्योंकि बिहार मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 11, 2016) में सड़क सुरक्षा उपकरण/अर्थदण्ड से माफी का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण सड़क सुरक्षा उपकरण/अर्थदण्ड की राशि देय होगा। यह कर माफी इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि गणना के पुनः सत्यापनोपरान्त सही पाये जाने पर ही यह आदेश प्रभावी होगा।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर सचिव, परिवहन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

निबंधित/ ज्ञापांक :- 02/टैक्स (कर विमुक्ति)-197/04 परि0

ई-मेल

प्रतिलिपि :- जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/स्टाफ ऑफिसर (PROV) FRONTIER HQRS, SSB, PATNA को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 02/टैक्स (कर विमुक्ति)-197/04 परि0 231 9

पटना, दिनांक- 4/4/18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।